न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना (सीकर)

पीठासीन अधिकारीः— साधुराम जाट
(आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या 412/2017

1. रामनिवास पुत्र हरसहाय
2. बाबूलाल पुत्र मूलाराम
   समस्त जाति गुर्जर निवासीगण जैतपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. कैलाश पुत्र गुल्ला जाति गुर्जर निवासी जैतपुरा तहसील नीमकाथाना
2. उप पंजियक नीमकाथाना जिला सीकर राजस्थान
3. ग्राम पंचायत लादीकाबास जरियं सरपंच ग्राम पंचायत लादीकाबास

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः— श्री सुरजभान पुनिया एडवोकेट— प्रार्थीगण
श्री जगदीश प्रसाद चौधरी एडवोकेट— अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 24-12-2019

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि भूमि ख.नं. 3, 15, 16, 47, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 160, 164, 170, 171, 172, 173, 176, 193, 203, 273, 274, 393, कुल किता 24 रकबा 3.77 हे. ग्राम जैतपुरा तहसील नीमकाथाना के 1/7 हिस्से की खातेदारी स्व. हरसहाय, स्व. मूला एवं स्व. सुरजा के नाम अंकित है। हरसहाय के वारिस प्रार्थी सं. 1 व तरतीबी प्रतिवादी सं. 6 ता 10 वारिसान है एवं खातेदार मूला के वारिसान प्रार्थी सं. 2 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 11 से 16 है एवं खातेदार सुरजा जो अविवाहित था जिसके वारिसान प्रार्थीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी सं. 6 ता 16 है। मूला का देहान्त होने पर उसके 1/21 हिस्से की खातेदारी वर्तमान में प्रार्थी सं 2 एवं प्रतिवादी सं. 11 ता 16 के नाम दर्ज है। शेष हिस्से की भूमि अन्य खातेदारान के नाम है। प्रार्थीगण का चाचा व ताउ सुरजा अविवाहित व नाऔलाद हरसहाय व मूला के साथ रहता थाव उसके हिस्से की भूमि भी मिलकर काश्त करते थे जिनका देहान्त होने पर प्रार्थीगण व तरतीबी प्रतिवादी सं. 6 ता 16 काश्त करते आ रहे है। उक्त 1/7 हिस्से की भूमि से अप्रार्थी सं. 1 का कोई सम्बंध व सरोकार नही है। अप्रार्थी सं. 1 ने अपने आपको सुरजा का वारिश बताकर उसकी विरासत का खाता

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रैक नीमकाथाना

Scanned by CamScanner

अपने नाम करवाने के लिये कार्यवाही किये जाने की जानकारी प्रार्थीगण को दिनांक 8.8.2012 हुई। अप्रार्थी सं. 1 गुल्ला का पुत्र है। अप्रार्थी नं. 1 ने धमकी दी की ग्राम पंचायत का सरपंच उसके प्रभाव में है आगामी पंचायत की मिटिंग में ना0क0 अपने नाम करा लेगा जबकि ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नही है। प्रार्थीगण ने इस सम्बंध में कार्यवाही नही करने बाबत ग्राम पंचायत को प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ है। किन्तु ग्राम पंचायत ना0क0 दर्ज करने पर आमादा है। प्रार्थीगण व तरतीवी प्रतिवादी सं. 6 ता 16 सुरजा के वारिसान है जिनका भूमि पर लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत भी विरासत प्राप्त होती है। अतः प्रथम दृष्टवा केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरनीय क्षति का सिद्वान्त प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर तादौराने दावा अप्रार्थी सं. 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावें कि भूमि वर्णित खण्ड सं. 1 प्रार्थना पत्र में स्व. सुरता के नाम दर्ज भूमि कि खातेदारी गलत तौर से अपने नाम दर्ज नही करावें। ना ही अप्रार्थी सं. 2 व 3 मृतक सुरजा की विरासत का ना0क0 अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज करे। ना राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिर्वतन करने की कार्यवाही करे, ना ऐसा कोई कृत्य करे जिससे प्रार्थी के हितो पर कोई विपरीत प्रभाव पडता हो।

उक्त तथ्यों के साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा वाद पत्र के साथ न्यायालय में प्रस्तुत हुआ । प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर वकील प्रार्थीगण को एक पक्षिय सुना गया एवं अप्रार्थीगण के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जवाब प्रस्तुत करने तक जारी किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वास्ते सुनवाई मय आदेश नोटिस विरूद्व अप्रार्थीगण जारी किये गये। अप्रार्थी नं. 1 की और से अधिवक्ता उपस्थित आये तथा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । अप्रार्थी नं. 2 व 3 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत अंकित किया कि प्रार्थीगण द्वारा मिथ्या एवं मनगढंत तथ्यों के आधार पर मौके एवं रिकार्ड के विपरीत तथ्य दर्ज कर पेश किया है जो कानूनन चलने योग्य नही है। उत्तरदाता की माता सुरजी देवी बेवा सुरजाराम का विवाह पूर्व में गुल्लाराम पुत्र दानाराम जाति गुर्जर निवासी जैतपुरा के साथ सम्पन्न हुआ था। सुरजीदेवी व गुल्लाराम के जीवन के दौरान दौ पुत्र रामजीलाल व रूडाराम पैदा हुये एवं एक पुत्री ग्यारसी देवी पैदा हुई। पुत्री ग्यारसी देवी के जन्म के पश्चात गुल्लाराम का देहान्त हो गया। सुरजी देवी युवावस्था में ही विधवा हो गयी एवं उक्त भूमियो का 1/21 हिस्से का खातेदार सुरजा पुत्र रमशा अविवाहित था तब हस्व बिरादरी रीति रिवाज के अनुसार समाज,रिस्तेदार,मित्रगणों एवं ग्रामवासियो की उपस्थिति में सुरजी देवी का पुर्नविवाह सुरजाराम पुत्र रमशा के साथ विधिवत रूप से सम्पन्न किया गया। जीवन निर्वहन के दौरान उत्तरदाता कैलाश पुत्र एंव कमली देवी पुत्री का जन्म हुआ इस प्रकार कैलाश एंव कमली देवी सुरजाराम से उत्पन्न संतान है। गुलाराम की संतान नहीं है। सुरजाराम के परिवार कार्ड में सुरजी देवी बतौर पत्नि व कैलाश बतौर पुत्र एंव कमली देवी बतौर पुत्री जन्म से ही दर्ज

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रैक नीमकाथाना

Scanned by CamScanner

होता आ रहा है। मतदाता सूचीयों में सुरजी देवी पत्नि सूरजाराम व कैलाश पुत्र सुरजाराम के नाम दर्ज होता आ रहा है। सुरजाराम पुत्र रमसा से नाम दर्ज हिस्से में सुरजी देवी एंव कमली देवी व कैलाश काश्त करते आ रहें है। सुरजाराम का दिनांक 03.04.2012 को व सुरजी देवी का दिनांक 13.08.2012 को देहान्त हो गया है। कैलाश व कमली देवी मृतक खातेदार सुरजाराम व सुरजी देवी के विधिक एंव कानूनी वारिसान के रूप में 1/7 हिस्से की भूमीयों पर पूर्ण रूप से काविज काश्त चले आ रहे है। मृतक सुरजाराम का वारिस प्रमाण पत्र संरपच ग्राम पंचायत लादीकावास द्वारा जारी किया गया है। जिसमें सुरजी देवी पत्नि, कैलाश पुत्र व कमली देवी पुत्री वर्णित किया गया है। सुरजाराम एंव सुरजी देवी के सम्पुर्ण कियाकम उत्तरदाता द्वारा किये गये है। पगडी का दस्तुर उत्तरदाता के किया गया था। उत्तरदाता सुरजा पुत्र रमशा के नाम दर्ज 1/7 हिस्से की भूमि पर बिना किसी बाधा एवं व्यवधान के निरन्तर रूप से प्रार्थीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण व ग्रामवासियों एवं सहखातेदारान की जानकारी में काबिज काश्त चला आ रहा है एवं भूमियों में फसल पैदावार करके अपना जावकोपार्जन करता आ रहा है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमियों के कुछ सहखातेदारान ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा उत्तरदाता को दिनांक 26.05.2008 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय किया था जिसकी पालना में ना.क. सं. 142 द्वारा खातेदारी दर्ज हुई है। रमशाराम के सात भाई कानाराम, दूदाराम, आबो, भोजा, केहरा, रमशु, कालू थे। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.5.2008 में साक्षीगण उक्त सातो भाईयों के परिवार से ही है जो पढे लिखे है। उक्त दौनो गवाहो ने विवादित भुमियो के सहखातेदान केता/उत्तरदाता कैलाशचन्द को सुरजाराम पुत्र होना पहचाना है। हरसहाय, मूलाराम व सुरजाराम उत्तरदाता के जन्म से पूर्व ही अलग अलग हो गये थे। सुरजाराम की सेवासुश्रा हरसहाय व मूलाराम ने नही की बल्कि सुरजी देवी व उत्तरदाता ने की की है। सुरजाराम के नाम दर्ज हिस्से की भूमियों का विरासत का ना0क0 उत्तरदाता अपने नाम दर्ज करवाकर स्वीकार कराने का अधिकारी है। मृतक सुरजाराम के हिस्से की भूमियो से प्रार्थीगण व अन्य का काई सम्बंध व सरोकार नही है प्रार्थीगण घोषणा की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नही है एवं बिना कब्जा स्थायी निषेधाज्ञा सहायता चलने योग्य नही है,ना ही प्रार्थीगण को किसी प्रकार का वाद कारण पैदा हुआ है। गुल्लाराम पुत्र दाना के दौ पुत्र रामजीलाल व रूडाराम है जो जीवित है व एक पुत्री ग्यारसी देवी सन्तान थी जिसका देहान्त हो गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विरूद्व उत्तरदाता खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थी सं 1 की और से जबाब प्रस्तुत होने पर बहस वकुलाय उभय पक्षों की सुनी गयी।

दौराने बहस विज्ञ अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दौहराते हुए तर्क दिया कि हरसहाय,सुरजा व मूला 3 लडके थे। सुरजा अविवाहित फौत हो गया जिसका फायदा उठाकर कैलाश पुत्र गुल्ला अपने नाम बिना विधिक आधार पर नाम करवाना चाहता है। गुल्ला की मृत्यु के बाद ग्सारसी सुरजा के पास आ गयी जिससे कैलाश व एक लडकी कमली पैदा हुई है। विधानसभा नीमकाथाना की भाग संख्या 119 वर्ष 1988 के परिवार संख्या 174 की कम संख्या 362 पर सुरजी/गुल्ला,

सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक नीमकाथाना

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रैक नीमकाथाना

Scanned by CamScanner

365 पर कैलाश/गुल्ला दर्ज है। निर्वाचक नामावली वर्ष 2008 विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर की भाग संख्या 171 कमांक 55 पर सुरजी पत्नी गुल्ला आयु 75 वर्ष है। अतः दावे के अन्तिम निर्णय तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति रखी जावे। रहन वय नही हो।

दूसरी ओर विज्ञ अधिवक्ता अप्रार्थी का तर्क है कि सुरजी जवान अवस्था में ही विधवा हो गयी व सुरजाराम से नाता कर लिया, जिससे कैलाश व कमली पैदा हुई। एक रजिस्ट्री दिनांक 26.05.2008 को क्रेता के रूप में कैलाश पुत्र सुरजा जाति गुर्जर ने 2008 में भूमि खरीदी है जिसका नामान्तरकरण संख्सा 142 के द्वारा अमल हुआ है। यदि मै फ्राड/फ्रेब्रिकेट होता तो खरीदने के दौरान कैलाश पुत्र सुरजा अंकन नही होता। सरपंच का उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र में मृतक सुरजाराम के सुरजीदेवी पत्नी,कैलाश पुत्र,कमली देवी पुत्री होना अंकित किया है। इसी प्रकार निर्वाचक नामावली 2014 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र श्रीमाधोपुर भाग संख्या 196 की कम संख्या 72 पर कैलाश पुत्र सुरजा दर्ज है। फोटो पहिचान पत्र आधार कार्ड, राशन कार्ड सभी में सुरजाराम पुत्र कैलाश दर्ज है। अतः पृथम दृष्टिवा केस,सुविधि का सन्तुलन व अपूरनीय क्षति का सिद्वान्त प्रार्थीगण के पक्ष में नही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अधोपान्त अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्बंत 2058 से 2060 ग्राम जैतपुरा तहसील नीमकाथाना के अवलोकन से पाया गया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 3, 15, 16, 47, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 160, 164, 170, 171, 172, 173, 176, 193, 203, 273, 274, 393, कुल किता 24 रकबा 3.77 हे. के 1/7 हिस्से की खातेदारी हरसहाय,सुरजा,मूला पि.रमशो के नाम दर्ज रिकार्ड है शेष हिस्सा अन्य खातेदारान के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण मृतक खातेदार सुरजा को अविवाहित नाऔलाद फौत होना तथा उसके वारिशान प्रार्थीगण व वादपत्र तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 ता 16 का होना एवं सुरजा के हिस्से की भूमि को अपनी भूमि में मिलाकर काश्त करते आना बता कर आ रहे है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 अपनी माता सुरजी देवी का जवान अवस्था में विधवा होना व सुरजाराम के साथ नाता कर लेने के वाद सुरजाराम व सुरजी देवी द्वारा पैदा हुई सन्तान यानि सुरजा का पुत्र होना बता कर आ रहा है। चुंकि विवादित भूमि के अधिकारो को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद है जिसको लेकर पक्षकारान के मध्य घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय में विचाराधीन है। अतः वाद एविडेन्स मूल वाद में ही यह तैय होगा कि मृतक खातेदार सुरजा के हिस्से की भूमि में किये क्या अधिकार मिलता है। अतः मूल वाद के निर्णय तक दौनो ही पक्षों को विवादित आराजी के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पावन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रैक नीमकाथाना

Scanned by CamScanner

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टवा मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु एवं प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुये उभय पक्षों को तादौराने वाद विवादित आराजी के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पावन्द किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(साधुराम जाट)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना

सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक नीमकाथाना

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sadhu Ram Jat
Date: 2020.02.10 12:12:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: